आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री सी.एम.गर्ग, न्यायिक सदस्य तथा
श्री ओ.पी.मीना, लेखा सदस्य के समक्ष

आ. अ. सं. 471 / इंदौर/ 2017
निर्धारण वर्ष : 2009-10

मे. वृहताकार सहकारी संस्था मर्यादित खातेगाँव जिला देवास	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त 1(1), उज्जैन
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी

स्था. ले. सं. : एएएजेवी 0695 जी

अपीलार्थी की ओर से :	सुश्री मनस्वी अजमेरा, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री लाल चंद, आयकर आयुक्त विभागीय प्रतिनिधि

सुनवाई तिथि :	26.09.2017
उद्घोषणा तिथि :	27.09.2017

आदेश

श्री सी.एम.गर्ग, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), उज्जैन के आदेश दिनांक 02.01.2017 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष यह प्रकरण सुनवाई हेतु अलग-अलग तारीखों को नियत था । सुनवाई की तारीखों पर न तो निर्धारिती की ओर से कोई उपस्थित हुआ न ही ही कोई ब्यौरें दाखिल किए गए जैसा कि आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश से प्रकट है । अतः विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने अभियोजन नहीं करने के कारण निर्धारिती की अपील खारिज की है।

3. अपील की सुनवाई के दौरान, विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने इस न्यायपीठ के समक्ष निवेदन किया कि निर्धारिती को सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है तथा उसने सुनवाई का एक अवसर देने का अनुरोध किया । अतः, उसने इस अपील को पुनःस्थापित करने का अनुरोध किया । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश पर निर्भरती रखी ।

4. हमने दोनों पक्षों को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है । हमने पाया कि इस अपील की सुनवाई में निर्धारिती उपस्थित नहीं रहा था । **दूसरे पक्ष की भी सुनो (audi alteram partem)** का सिद्धांत प्राकृतिक न्याय की मूलभूत अवधारणा है । पदबंध "**दूसरे पक्ष की भी सुनो (audi alteram partem)**" का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को उसके स्वयं का बचाव करने का अवसर दिया जाना चाहिए । यह सिद्धांत प्रत्येक समाज हेतु **अनिवार्य (sine qua non)** है जैसे नोटिस का अधिकार, प्रकरण तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार, प्रतिकूल साक्ष्य का खंडन करने का अधिकार, प्रति परीक्षण का अधिकार, विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार, पक्ष को साक्ष्य प्रकटन, जांच की रिपोर्ट अन्य पक्ष को दिखाया जाना और तर्कपूर्ण निर्णय या सकारण आदेश । हमने पाया कि सुनवाई के अधिकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इन्डिया (1978 एआईआर 597; 1 एससीसी 248) के प्रकरण में निर्णयित किया गया है, जिसमें

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिधारित किया है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उचित सुनवाई का नियम आवश्यक है । हमने पाया कि यह दूसरे पक्ष की भी सुनो (audi alteram partem) नियम के प्रतिमान का निर्णय-पूर्व सुनवाई मानक है । हमने पाया कि इस वर्तमान प्रकरण में, निर्धारिती को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया था । अतः, हमारा अभिमत है कि निर्धारिती को सुनवाई तथा उसके प्रकरण को प्रस्तुत करने का एक और अवसर दिया जाना चाहिए । अतः, हम यह अपील स्वीकृत करते है । निर्धारिती को इस आदेश की प्राप्ति के दो माह के अंदर विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष प्रस्तुत होने का निर्देश दिया जाता है । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) को निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार अपील निर्णयित करना चाहिए ।

6. परिणामतः, निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती है ।

यह आदेश 27.09.2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(ओ.पी.मीना)	(सी.एम.गर्ग)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 27.09.2017

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल

सहायक पंजीकार